वमुख: नवाबसिंह V/s रामभरोसी मु० नं० 111/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09-01-2023	प्रार्थी के अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार उप0/अभिभाषक प्रार्थी ने फार्म न0 3 पर किता–3 दस्तावेज प्रमाणित फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है, कि आवंटी स्व0 बिहारी पुत्र शिवलाल मूल रूप से ग्राम अंबरखॉ के नगला तहसील बाडी का निवासी था। ग्राम चौकपुरा मजरा बैनपुरा मै स्व0 बिहारी की रिश्तेदारी थी इसलिए स्व0 बिहारी ने स्वंय को ग्राम चौकपुरा का निवासी बतलाते हुए एक आवंटन हाल ख0न0 10 रकवा 12 बीघा 15 बिस्वा जिसका गत ख0न0 10/1 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा वांके ग्राम बैनपुरा में दिनांक 24.5.1965 को करा लिया उसके बाद पुनः एक आवंटन हाल ख0न0 11 बांके ग्राम बैनपुरा में ही रकवा 4 बीघा 18 बिस्वा का दिनांक 10.09.1975 को करा लिया। स्व0 बिहारी द्वारा उक्त आवंटन धोखे से मिसरिप्रेसेन्टेशन के आधार पर कराये थे। आज तक कभी कब्जा स्व0 बिहारी या उसके विधिक प्रतिनिधियों तथा अप्रार्थीगण का कभी नहीं रहा। आवंटन से पूर्व आवंटन के लिये कोई उद्वघोषणा जारी नहीं हुई। आवंटन के समय स्व0 बिहारी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया। यहॉ तक कि यह भी छुपाया गया कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही गॉव में दो अलग अलग आवंटन करा लिये। आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रामभरोसी एवं सियाराम बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 18.10.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा दिनांक 19.12.2022 को जबाव प्रस्तुत किया है जिसमें आवंटन को विधि अनरूप होना अंकित किया है। हमने प्रार्थी के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि आवंटी स्व0 बिहारी पुत्र शिवलाल के द्वारा ग्राम बैनपुरा तहसील बाडी में दिनांक 24.5.1965 एवं दिनांक 10.09.1975 एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही गॉव में दो अलग अलग आवंटन कराये है। स्व0 बिहारी द्वारा उक्त आवंटन धोखे से मिसरिप्रेसेन्टेशन के आधार पर कराये थे। आज तक कभी कब्जा स्व0 बिहारी या उसके विधिक प्रतिनिधियों तथा अप्रार्थीगण का कभी नहीं रहा। आवंटन से पूर्व आवंटन के लिये कोई उद्वघोषणा जारी नहीं हुई। अतः प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या प्रश्नगत आवंटन, नियमों के विपरीत हुआ है अथवा आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लधंन किया है। फलस्वरूप इसकी विस्तृत	

जॉच तहसीलदार बाडी से कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रकरण तहसीलदार बाडी को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त प्रकरण तहसीलदार बाडी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वह उक्त प्रकरण में रिकार्ड व मौके की जॉच कर परिक्षण करें जॉच के उपरान्त यदि आवंटित भूमि आवंटन नियमों के विपरीत होना पाये जाये अथवा आवंटन सही होने की स्थिति में आवंटन की शर्तो का उल्लधंन किया जाना पाया जाता है तो तहसीलदार बाडी अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवश्यक दस्तावेजों सहित एक माह में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे। इस आदेशिका की प्रति के साथ प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न कर तहसीलदार बाडी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर 9.1.23